रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 दिसम्बर, 1995/11 अग्रहायण, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

जनजातीय विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 नवम्बर, 1995

संख्या टी० डी० (एफ) 5-3/90.—हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत योजनाओं के उचित तथा कालोचित कार्यान्वयन के लिए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नाभिक बजट नियम-1995, अनुलग्नकों के अनुसार बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. यह व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वहन किया जाएगा:—

"2053—जिला प्रशासन
796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,
08—नाभिक बजट पर व्यय,
लघु कार्य ।"

3590-राजपत्र/95-2-12-95—1,224. (4779) मूल्य : 1 रुपया।

3. यह वित्त विभाग की पूर्व सहमति दै0 सं0 110-फिन(सी)-सी(12)-1/94, दिनांक 31-1-1994 तथा दै0 सं0 1545-फिन (सी)-सी(12)-1/94. दिनांक 13-2-1995 द्वारा जारी किये जाते हैं ।

4. यह अधिसूचना इस सन्दर्भ में पूर्व जारी सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करती है ।

आदेश द्वारा,
ए. एन. विद्यार्थी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

परिशिष्ट

हिमाचल प्रदेश जनजातीय क्षेत्र नाभिक बजट नियम, 1995

1. लघु शीर्ष तथा प्रारम्भ.—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश जनजातीय क्षेत्र नाभिक बजट नियम, 1995 कहलायेंगे ।

(2) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिकार क्षेत्र.—ये नियम हिमाचल प्रदेश के उन सभी जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी होंगे जिनमें एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना गठित की गई है ।

3. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ से कोई बात अन्यथा न हो,—

(1) "जिला" से अभिप्राय जिला किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति के समस्त जनजातीय क्षेत्र तथा जिला चम्बा की पांगी व भरमौर तहसीलें और होली उप तहसील से है (1991 की जनगणना के अनुसार) ।

(2) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना जो एतद्पश्चात "ए. ज. जा. वि. परि." कहलायेगी से अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा स नाभ से गठित जनजातीय सकेन्द्रित क्षेत्र से है तथा वर्तमान में किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी एवं भरमौर ऐसे क्षेत्र हैं ;

(3) "स्वीकृति प्राधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित "ए0 ज0 जा0 वि0 परि0" के परियोजना अधिकारी से है ;

(4) "परियोजना कार्यपालक" से अभिप्राय जिला अथवा उप-मण्डल क्षेत्राधिकार के सम्बन्धित आवासीय आयुक्त या जिलाधीश अथवा अतिरिक्त जिलाधीश से है;

(5) "राज्य सरकार" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार से है ;

(6) "आयुक्त" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार के जनजातीय विकास आयुक्त से है ;

(7) "कार्यपालक प्राधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित ए0 ज0 जा0 वि0 परियोजना क्षेत्र में स्थित उस कार्यालयाध्यक्ष से है जो "स्वीकृति प्राधिकारी" द्वारा नाभिक बजट से स्वीकृत स्कीमों को कार्यान्वित करेगा । यदि कार्यालयाध्यक्ष ए0 ज0 जा0 वि0 परि0 क्षेत्र में न हो तो कार्यपालक प्राधिकारी को तथा ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति को भी सम्मिलित कर सकता है ;

(8) "तकनीकी अधिकारी" से अभिप्राय ए0 ज0 जा0 वि0 परि0 क्षेत्र में स्थित उच्च स्तरीय तकनीकी-अधिकारी अथवा कर्मचारी से है ;

(9) "परियोजना सलाहकार समिति" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित ए0 ज0 जा0 वि0 परिक्षेत्र के लिए गठित समिति से है ।

4. नाभिक बजट तैयार करना.—(1) राज्य सरकार प्रतिवर्ष जनजातीय क्षेत्रों की प्रत्येक ए0ज0जा0वि0परि0 के जनजातीय उपयोजना निधि में से अलग से नाभिक बजट देगी जो जनजातीय उप-योजना में राज्य के हिस्से के रूप में होगा । प्रत्येक ए0 ज0 जा0वि0 परि0 के लिये नाभिक बजट की राशि सरकार द्वारा हर वर्ष निर्धारित की जायेगी ;

(2) विभागाध्यक्ष होने के नाते, जनजातीय विकास आयुक्त का नाभिक बजट पर सम्पूर्ण नियन्त्रण होगा ।

(3) नाभिक बजट का उपयोग सम्बन्धित ए0 ज0 जा0 वि0 परि0 की आनुषंगिक योजना के लिए किया जाएगा ।

(4) आयुक्त जनजातीय विकास प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित परियोजना कार्यपालक को नाभिक बजट की सूचना देगा, (आबंटन करेगा) ।

5. नाभिक बजट का उपयोग.—आयुक्त, जनजातीय विकास द्वारा प्रत्येक वर्ष आबंटित नाभिक बजट पर ए0 ज0 जा0 वि0 परि0 के परियोजना कार्यपालक का नियन्त्रण होगा तथा वह निम्न प्रकार से इसका उपयोग करेगा : —

(1) नाभिक बजट से राशि केवल ऐसी स्कीमों के लिए ही खर्च की जाएगी जो स्थानीय महत्व की हो जिनके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान न किया गया हो ;

(2) परियोजना कार्यपालक तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर ए0 ज0 जा0वि0परि0 की परियोजना सलाहकार समिति की संस्तुति पर स्कीम को स्वीकृति प्रदान करेगा तथा स्वीकृत स्कीमों की सूचना स्वीकृति के समय सरकार को दी जायेगी ।

(3) किसी विशेष स्वीकृत स्कीम के अन्तर्गत नाभिक बजट में से खर्च करने की अधिकतम सीमा 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) तक की होगी लेकिन शर्त यह रहेगी कि जिस स्कीम के ऊपर खर्च किया जा रहा है उससे पांच विभिन्न परिवारों को लाभ पहुंचेगा अथवा इस स्कीम से सामुदायिक उद्देश्य पूरा होता है तथा इस स्कीम से किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं पहुंचेगा ;

(4) सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही स्कीम की स्वीकृति दी जाएगी, प्रत्येक आई0 टी0 डी0 पी0 के लिए मूल कार्य अथवा स्कीम की तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा दी जाएगी ।

(5) जब तक सम्बन्धित अभिकरण/विभाग स्कीम पूरा होने के बाद इसके रख-रखाव की लिखित रूप से पूरी जिम्मेवारी नहीं लेता तब तक स्वीकृत स्कीम का राज्य सरकार पर किसी प्रकार का आवर्ती दायित्व नहीं होगा ।

(6) सामान्यतया नाभिक बजट में स्वीकृत व अर्थ-पोषित स्कीम में स्टाफ घटक नहीं रखा जाता है, किसी भी स्थिति में नाभिक बजट के उपयोग की समय सीमा से बढ़े हुए काल के लिए नाभिक बजट के उपयोग की समय सीमा से बढ़े हुए काल के लिए नाभिक बजट में से कोई स्टाफ दायित्व का सृजन नहीं किया जाना चाहिए ।

(7) स्कीम स्वीकृत करने वाले अधिकारी के निर्देशानुसार एक या डेढ़ साल की समय सीमा के भीतर संचित कार्य को स्कीम के अन्तर्गत पूरा करने का उत्तरदायित्व निष्पादक प्राधिकरण का होगा ।

(8) पूरी तरह से सन्तुष्ट होने के पश्चात स्वीकृत करने वाला अधिकारी कार्य परा होने के तीन मास के भीतर एक इस आशय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि राशि पूरी तरह से उपयोग में लायी गई है तथा कार्य विनिर्देश के अनुसार पूरा कर लिया गया है ।

(9) नाभिक बजट में से उसी कार्य के लिए एक बार से अधिक बार राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती तथा कार्य को खण्डों में बांटना भी उचित नहीं है । नाभिक बजट के खजाना में से कोई भी निधि तब तक स्वीकृत अथवा आहरित न की जाए जब तक कि इसके प्राक्कलन विधिवत रूप से प्राप्त न हो । इस तरह की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश जनजातीय क्षेत्रों के लिए नाभिक बजट नियम, 1979 के नियम 5 (V) में भी थी, जहां तक नाभिक बजट नियम 5 (V) के उल्लंघन मे इस तरह की राशि पहले आहरित की गई हो उसे फौरन खजाना में पुनः जमा किया जाए ।

(10) नाभिक बजट के अन्तर्गत मुरम्मत या रख-रखाव के कार्य के लिए कोई फण्ड स्वीकृत नहीं किया जाएगा क्योंकि यह सम्बन्धित लाभान्वितों का उत्तरदायित्व है, किन्तु रास्तों या सड़कों की बढ़ौतरी बदलाव, पुनः निर्माण पुनः माडल बनाने तथा चौड़ा करने के लिए मिल सकते हैं ।

(11) खर्च न की गयी बकाया राशि अर्थात किसी स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में अन्तर तथा वास्तविक तौर पर उपयोग की गई राशि में अन्तर को तत्काल निर्मुक्त करके तथा खजाना में जमा कर देना चाहिए ।

(12) सम्बन्धित विभाग द्वारा जब भी प्रशासनिक व्यय प्राप्त कर लिए जायें उन्हें खजाना में तत्काल जमा कर लिया जाए ।

(13) सुविधा के अनुसार आने वाले वर्षों में एक बार स्वीकृत की गई स्कीम को पुनः बदला नहीं जा सकता, स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई राशि स्वीकृत करने के बाद यदि लगातार तीन वर्षों तक व्यय न की जाए तो उसे भी निर्मुक्त करके खजाना में जमा कर देना चाहिए ।

(14) परियोजना अधिकारी, आई0 टी0 डी0 पी0 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी गई नाभिक बजट निधि पर एकत्र ब्याज को आवर्तन के लिए उपलब्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत खजाना में जमा किया जा सकता है ।

(15) समय-समय पर निष्पादक विभागों द्वारा स्वीकृत की गई दरों के आधार पर ही प्रशासनिक व्यय सम्बन्धित विभागों द्वारा देय होगा ।

6. सहायता अनुदान/उपदान.—यदि निष्पादक कार्य संचालन प्राधिकरण तथा स्वीकृत करने वाले अधिकारी सन्तुष्ट हो कि शेष बचे हुए संसाधन उपलब्ध हैं तो उस स्थिति में सीधे ही सहायता अनुदान/उपदान राशि भी स्कीम का एक भाग ही माना जा सकता है ।

7. हर वर्ष अप्रैल मास में सम्बन्धित ग्राम पंचायत संचयिका प्राधिकरण द्वारा नाभिक बजट में से अनुदान का प्रस्ताव सम्बन्धित पंचायत समिति को भेजा जाएगा, पंचायत समिति बैठक में इस पर उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात प्रत्येक स्कीम पर अपनी अलग-अलग संस्तुतियों को देने के पश्चात् इन स्कीमों के प्रस्तावों को आई0 टी0 डी0 पी0 के परियोजना अधिकारियों के माध्यम से अनुसंलग्नक "ए" में दिये गये प्रपत्र के अनुसार हर वर्ष मई मास के अन्त तक परियोजना सलाहकार समिति (प्रोजैक्ट एडवाईजरी कमटी) के विचार के लिए भेज देगी ।

8. राशि निकालना.––परियोजना कार्यपालक वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए और इस बात की सन्तुष्टि करते हुए कि निकाली जाने वाली राशि उपयुक्त रूप में प्रयोग में लाई जाएगी, स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध खजाने में से राशि निकालेगा । परियोजना अधिकारी सभी दस्तावेज लेखा परीक्षा पार्टी के समक्ष लेखा परीक्षा निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करेगा ।

9. स्कीमों का रजिस्टर.––स्वीकृति प्राधिकारी प्रत्येक स्वीकृत योजना का स्थायी रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र (सहायतानुदान) परिशिष्ट–"ख" के अनुसार रखेगा ।

10. स्कीमों का लेखा परीक्षा.––नाभिक बजट निधि में से कार्य योजना के लिए व्यय की गई राशि का लेखा-परीक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर लेखा परीक्षण किया जाएगा ।

11. निरसन.––(1) हिमाचल प्रदेश नाभिक बजट जनजातीय क्षेत्र नियम, 1979 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त नियमों के अधीन कोई किया गया काम या की गई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जाएगी कि यह नियम उस दिन लागू हुए हैं जब कोई काम किया हो या कार्यवाही की गई हो ।

12. महालेखाकार के पूर्व परामर्श से वित्त विभाग ने अपने डायरी संख्या : 110-फिन(सी)-सी(12)-1/94, दिनांक 31-1-1994 एवं डायरी संख्या 1545-वित्त (सी)-सी(12)-1/94, दिनांक 23-12-1994 द्वारा सहमति दी है ।

परिशिष्ट—"क"

हिमाचल प्रदेश जनजातीय क्षेत्र नाभिक बजट नियम, 1995 के अधीन, नाभिक बजट फण्ड में से योजना की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र ।

---

1. स्कीम का नाम :
2. स्कीम की संस्थिति: गांव .....
   उपगांव .....
   डाकघर .....
   तहसील .....
   जिला .....
3. स्कीम का संक्षिप्त विवरण: .....
4. स्कीम की संभावित लागत रुपये .....
5. धन प्रदान करने का औचित्य : .....
6. ग्राम पंचायत/कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली प्रतिश्रुति।
   1. कि स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भूमि/शेष संसाधन ग्राम पंचायत/कार्यान्वयन प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं ।

(2) कि स्कीम स्थानीय महत्व की है जिसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं है ।

3. कि प्रश्नागत स्कीम ग्राम पंचायत/क्षेत्र के कम से कम पांच लाभभोगी परिवारों को लाभ पहुंचायेगी ।

4. कि प्रश्नागत स्कीम से राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा ।

5. आरम्भ में प्रश्नागत स्कीम में स्टाफ की आवश्यकता नहीं है, तथा यदि हो, तो वह स्टाफ नाभिक बजट की उपयोग अवधि के बाद नहीं रखा जायेगा ।

6. कि ग्राम पंचायत/कार्यान्वयन प्राधिकारी/विभाग स्कीम के पूरा होने पर उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी लेता है ।

7. कि प्रश्नागत स्कीम के लिए नाभिक बजट अनुमान के उपयोग का तकनीकी अनुमोदन के अनुसार समुचित लेखा रखा जायेगा तथा परियोजना कार्यपालक की पूर्ण सन्तुष्टि हेतु उसे प्रस्तुत किया जायेगा और यदि कोई राशि शेष बची हो, तो उसे तुरन्त परियोजना कार्यपालक को लौटाया जायेगा तथा प्रश्नागत स्कीम का समापन्न प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

ग्राम पंचायत के सचिव/कार्यान्वयन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर सहित ।

दिनांक .....

परियोजना कार्यपालक,
(आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/
अतिरिक्त जिलाधीश/
परियोजना अधिकारी,
एकीकृत जन जातीय विकास परियोजना) ।

नोट:—आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी संलग्न किया जाये ।

परिशिष्ट—"ख"

क्रमांक	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	प्रत्येक तकनीकी अनुमोदन के लिए कुल अनुमोदित व्यय	नाभिक बजट के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5

योजना की अवस्थिति	लाभग्राही गांव/गांवों के नाम	लाभान्वित परिवारों की संख्या	परियोजना सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की सन्दर्भ संख्या एवं दिनांक	स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकृती की सन्दर्भ संख्या एवं दिनांक
6	7	8	9	10

कार्यकारी अधिकारी का नाम और पता	दी गई किश्तें					
	पहली किश्त			दूसरी किश्त		
	राशि	चैक संख्या	दिनांक	राशि	चैक संख्या	दिनांक
11	12	13	14	15	16	17

तीसरी किश्त			चौथी और अन्तिम किश्त			राशि जो वास्तविक रूप में प्रयुक्त की गई	राशि समाप्ति प्रमाण पत्र का विवरण	
राशि	चैक संख्या	दिनांक	राशि	चैक संख्या	दिनांक		संख्या	दिनांक
18	19	20	21	22	23	24(रु0)	25	26

कार्यकारी अधिकारी द्वारा अव्ययित राशि की वसूली कालम 5 से 24			वसूल की गई राशि का विवरण		जारी किया गया उपयोगिता प्रमाण-पत्र		विशेष कथन यदि कोई हो
राशि	चैक संख्या	दिनांक	खजाने में जमा की गई राशि को चालान संख्या		दिनांक	संख्या	
27	28	29	30	31	32	33	34

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th November, 1995

No.TD(F)5-3/90.—For the proper and expedient implementation of the Tribal Sub Plan Schemes for the Development of Tribal Areas of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Himachal Pradesh Nucleus Budget Rules, 1995 as per Annexure enclosed.

2. The Head of account to which the expenditure on this account will be met is as under:—

"2053—District Administration
796—Tribal Area Sub-Plan
08—Expenditure on Nucleus Budget
Minor Works".

3. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* their Dy. No. 1110-Fin (C) C (12)-1/94, dated 31-1-1994 and Dy. No. 1545-Fin (C)-C (12)-1/94, dated 13-2-1995.

4. This supersedes all previous notifications issued in this behalf.

By order,

A. N. VIDYARTHI,
Additional Chief Secretary.

ANNEXURE

THE HIMACHAL PRADESH NUCLEUS BUDGET FOR TRIBAL AREAS RULES, 1995

1. *Short title and Commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Nucleus Budget for Tribal Area Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.

2. *Jurisdiction.*—These Rules shall extend to all the tribal areas of Himachal Pradesh as have Integrated Tribal Development Projects instituted therein.

3. *Definition.*—In these rules unless there is anything repugnant to the subject or context.—

(*i*) "District" means the entire tribal districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti and Pangi tehsil and Bharmour tehsil and Holi sub-tehsil of Chamba District (as per 1991 census) ;

(*ii*) "Integrated Tribal Development Project" hereinafter called "I T. D. P." means such an area of tribal concentration constituted as such by the State Government which are presently Kinnaur, Lahaul Spiti, Pangi and Bharmour ;

(*iii*) "Sanctioning Authority" means the Project Officer of the respective I. T. D.P.;

(*iv*) "Project Executive" means the Resident Commissioner or the Deputy Commissioner or the Additional Deputy Commissioner in his respective jurisdiction of a district or sub-division ;

(*v*) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh in the Tribal Development Department.

(*vi*) "Commissioner" means the Commissioner for Tribal Development to the Government of Himachal Pradesh.

(*vii*) "Executive Authority" means the Head of Office located within the respective I. T.D.P. area for the concerned department which will implement the schemes sanctioned by the "Sanctioning Authority" from the Nucleus Budget. The Executive Authority shall, also include any other senior officer of the concerned department, in case the Head of

office is not stationed within the particular I. T. D. P. area, and it shall also include a Gram Panchayat or Panchayat Samiti ;

(*viii*) "Techincal Officer" means the high level technical officer or official stationed within the particular I. T. D. P. area ;

(*ix*) "Project Advisory Committee" means the committee constituted by the Himachal Pradesh Government for the concerned I. T. D. P.

4. *Creation of Nucleus Budget.*—(*i*) The State Government shall create every year a nucleus budget for the benefit of the tribal areas independently for each of the I. T. D. P. out of the Tribal Sub-Plan funds, flowing as the State Share to the Tribal Sub-Plan. The amount of the nucleus budget for each of the I.T. D. P. shall be determined by the State Government from year to year.

(*ii*) The overall control over the nucleus budget shall vest in the Commissioner, Tribal Development being the head of the department.

(*iii*) The provision of Nucleus Budget shall be used only for contingency planning of the respective I. T. D. P.

(*iv*) The Commissioner, Tribal Development shall communicate each year the Nucleus Budget provision meant for each I. D. T. P. to the respective Project Executive.

5. *Utilisation of Nucleus Budget.*—(*i*) The amount of the Nucleus Budget as communicated by the Commissioner, Tribal Development, each year shall be at the disposal of the Project Executive of the I. T. D. P. and shall be utilised by him/her in the manner indicated below:—

(*i*) Funds from the Nucleus Budget shall be spent only for such schemes, as are of local importance for which adequate normal and specific budget provision is not available.

(*i*) Project Executive shall sanction each scheme only on the recommendations of the Project Advisory Committee of the I. T. D. P. after the technical approval and information about the sanctioned schemes shall invariably be sent to the Government at the time of sanction ;

(*iii*) For any particular sanctioned scheme, the maximum limit of expenditure from Nucleus Budget would be Rs. 1,00,000/-subject to the condition that the scheme in question benefits atleast five different families or serves community purpose and is not for any particular individual's benefit ;

(*iv*) The sanction of the scheme shall be imparted only after the receipt of technical approval from the concerned Technical Officer;

Tehncial approval of original works/schemes shall be accorded by the competent Technical Officer of the concerned department for each I. T. D. P.

(*v*) The sanctioned schemes shall not create any recurring liability on the State Government unless the concerned agency/Department gives a written undertaking to maintain the scheme after its completion ;

(*vi*) The sanctioned and financed from the Nucleus Budget shall not ordinarily have any staff component. In any case no staff liability shall be created from the nucleus budget for the period exceeding the period of utilisation of nucleus budget ;

(*vii*) The Executive Authority shall be responsible for implementation of the schemes as directed by the sanctioning authority, as "DEPOSIT WORK" within a period of one and a half years.

(*viii*) On completion of the work, the sanctioning authority shall issue the utilisation certificate within three months after satisfying itself that the amount has been properly utilised and that the work has been completed as per specifications ;

(*ix*) Funds under Nucleus Budget shall not be sanctioned for the same work more than once; also, splitting of the work is not permissible. No funds should be sanctioned

ANNEXURE—"B"

Sl. No.	Name of the Scheme	Brief discription of the scheme	Total estimated cost as per Tehnical Approval	Amount sanctioned from Nucleus Budget
1	2	3	4	5

Location of the Scheme	Names of beneficiaty village (s)	No. of families benefited	Reference No. and date of Recommendation by the Project Advisory Committee	Reference No. and date of sanction by the Sanctioning Authority
6	7	8	9	10

Name and address of Executive Authority	Instalments released		
	1st Instalment		
	Amount	Cheque No.	Date
11	12	13	14

Instalments released					
2nd Instalment			3rd Instalment		
Amount	Chaque No.	Date	Amount	Cheque No.	Date
15	16	17	18	19	20

4th and Final Instalment			Amount Actually Utilised	Details of Completion Certificate		Unspent Amount recovered from the Executive Authority. (Col. 5 to 24).		
Amount	Cheque No.	Date		No.	Date	Amount	Cheque No.	Date
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Disposal of Amount recovered		Utilisation Certificate issued		Remarks, if any
Challan No. *vide* which deposited in the Treasury.	Date No.	Date		
30	31	32	33	34

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।